

आदि गह पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी वकील अनुपस्थित। प्रतिवादी एवं प्रतिवादी वकील अनुपस्थित।

न्यायालय में बार-बार आवाज लगवाने के बावजूद सायं 5.00 बजे तक अनुपस्थित एवं पत्राचार में ही कोई उपस्थित नहीं हुआ।

अतः प्रकरण बिना धारों एवं बिना पेशी में खारिज किया जा रहा है।

पत्रावली आदि पेशी में फैसला सुनाने

दौर पर अधिकतर से भ्रम भी जाये।

बाद में दफतर धारिण हो।